बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007

संकल्प

संकल्प सं0– 923/रा0, दिनांक 18.5.10 के द्वारा **"बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति– 2007"** में संशोधन कर कंडिका– 1.1 (ख) जोड़ा गया है। उक्त कंडिका– 1.1 (ख) के अन्त में निम्नलिखित **"परन्तुक"** अंकित है :–

"परन्तुक– वैसे मामले जिनमें एक परियोजना के अंतर्गत सभी मौजों का 100 प्रतिशत का भुगतान कर दखल–कब्जा हो चुका है, ऐसे मामले पर यह प्रभावी नहीं माना जायेगा"

उपर्युक्त **"परन्तुक"** में अंकित शब्दावली को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर निम्नवत् **"परन्तुक" प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

"परन्तुक– किसी परियोजना के अन्तर्गत भू अर्जन से संबंधित वैसे मामले, जिनमें भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11 के तहत अर्जनाधीन भूमि के प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त पंचाट (अवार्ड) घोषित हो चुके हैं, उन मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इस प्रसंग में भू अर्जन अधिनियम की धारा–12 एवं 13–A भी द्रष्टव्य है।"

2. अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

आदेश– एतत् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुये इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– 15/डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06 952/रा0, दिनांक 24-05-11

प्रतिलिपि:– अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– 15/डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06 952/रा0, दिनांक 24-05-11

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर से उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय।

प्रधान सचिव।